

प्रपत्र VII
झारखण्ड सरकार
समाहरणालय, खूँटी

संख्या:-58(i)
दिनांक:-01.08.19

(जिला भू-अर्जन शाखा)
अधिघोषणा

(अधिनियम-30/2013 की धारा-19 (1) के अधीन)

चूँकि समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ यथा परियोजना करर्ा मोड़ तोरपा करर्ा पथ चौड़ीकरण परियोजना हेतु RCD के लिए ग्राम जलटण्डा थाना- करर्ा थाना सं0 55 अंचल करर्ा जिला खूँटी में कुल कमोबेश 0.97 एकड़ यानि 0.392712551 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है।

इसलिए अधिघोषणा किया जाता है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू-खंड है, जो मानक माप से कमोबेश 0.97 एकड़ यानि 0.392712551 हेक्टेयर है जो ग्राम जलटण्डा थाना- करर्ा थाना सं0 55 अंचल करर्ा जिला खूँटी में है, जिसका विवरण निम्नलिखित है-

ग्राम जलटण्डा थाना- करर्ा थाना सं0 55 अंचल करर्ा का विस्तृत विवरणी

क्र0 सं0	खाता संख्या	सर्वे भू-खण्ड संख्या	भू-स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता	सीमा (भू-खण्ड संख्या)
							उ0 द0 पू0 प0
1	2	3	4	5	6	7	8
1	26	994 अंश	ठोरया मुण्डा वो राम मुण्डा वगैरह	टांड 3	0.20	सनिका धान वो सुकरा धान वो अर्जुन धान सुकुल धान पिता स्व0 विरसा मुण्डा वो अगस्टीन धान पिता स्व0 चामा मुण्डा वो महादेव धान वो जुगल धान पिता स्व0 सोमरा मुण्डा वो सुखु धान वो लछु धान पिता स्व0 बहिरा मुण्डा वो मंगरा धान वो सुकरा धान राम धान पिता स्व0 सोहराई मुण्डा।	उ0-882 द0-सुआरी 37 पू0-रास्ता प0-994 का अंश
2	28	881 अंश			0.25	उ0-853 द0-882 पू0-रास्ता प0-881 का अंश	
3		853 अंश			0.21	उ0-850 द0-881 पू0-रास्ता प0-853 का अंश	
4		850 अंश			0.11	उ0-810 द0-853 पू0-रास्ता प0-850 का अंश	
5	19	882 अंश	छोटवा चोरेया मुण्डा वगैरह	टांड 3	0.20	सुमित हेमरोम, रंजीत हेमरोम, सुनील हेमरोम वल्द स्व0 पतरस हेमरोम। विपिन हेमरोम वल्द स्व0 सामुएल	उ0-881 द0-994 पू0-रास्ता प0-882 का अंश

						मुण्डा। मतियस हेमरोम वल्द स्व0 मंगल मुण्डा।सिरिल हेमरोम, फंसिस हेमरोम, जोहन हेमरोम, सुधीर हेमरोम, इलियस हेमरोम, जोसेफ हेमरोम, सुशील हेमरोम वल्द स्व0 वितना मुण्डा (अस्पष्ट)	
				कुल	0.97		

यह अधिघोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के सुनने और अधिनियम संख्या 30/2013 की धारा 15 में प्रदत्त यथा उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात् किया गया है। भूमि अर्जन के कारण पुनर्व्यवस्थापन के लिए संभावित परिवारों की संख्या शून्य है, जिनेक लिए पुनर्व्यवस्थापन के शून्य क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं, जिसका संक्षिप्त विवरण शून्य है। प्रभावित क्षेत्रों में वृक्ष की संख्या शून्य है।


 उपायुक्त,
 खूँटी।